

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
कार्यालय आदेश

ज्ञापांक - 3/स्था०(7) 01/2014 -

/ पटना - 15, दिनांक -

श्री उमा शंकर प्रसाद, भा०प्र०से०, अपर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19(1) में सन्निहित प्रावधान के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में नामित किया गया था। श्री प्रसाद सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त कार्य हेतु निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में अगले आदेश तक नामित किया जाता है।

2. पूर्व के निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित रामझा जाय।
3. यह आदेश निर्गत कि तिथि से प्रभावी होगा।
4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(ब्रजेश्वर पाण्डेय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 3/स्था०(7) 01/2014 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक - 3/स्था०(7) 01/2014 -

/ पटना - 15, दिनांक -

प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/निदेशक, पशुपालन/ गव्य विकास/मत्स्य, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-06, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक 3/स्था०(7) 01/2014 1976

/ पटना - 15, दिनांक - 27/6/17

प्रतिलिपि - आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Gom
27/6/17
सरकार के अवर सचिव।